कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड (उत्तर), बुलन्दशहर

पत्रांकः /नखबु/नीलामी/निष्प्रयोज्य/ दिनांकः

सार्वजनिक नीलामी की सूचना सं0–02/2020–21

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड (उत्तर) बुलन्दशहर के नियन्त्रणाधीन निम्नलिखित निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दिनांक 19.08.2020 को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के पैरा 560 ए परिशिष्ट 19 डी के अन्तर्गत नलकूप खण्ड (उत्तर), बुलन्दशहर के भण्डार परिसर में अपरान्ह 12.00 बजे से गठित समिति द्वारा की जाएगी। प्रत्येक लॉट की नीलामी पृथक–पृथक की जायेगी। इस नीलामी की टोकन मनी प्रत्येक लॉट के लिए अलग–अलग है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, जो दिनांक 19.08.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक खण्डीय कार्यालय, बुलन्दशहर में जमा की जायेगी। नीलामी की टोकन मनी बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार होगी। बैंक ड्राफ्ट, अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड (उत्तर) बुलन्दशहर के नाम पर बंधक होना चाहिए तथा बुलन्दशहर की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा पर देय हो। निर्धारित समय के बाद कोई टोकन मनी जमा नही की जायेगी। नीलामी की शर्ते निम्नवत हैं। नीलामी तिथि का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में नीलामी की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

क्र0 सं0	निष्प्रयोज्य सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	टोकन मनी (रू0 में)	लॉट संख्या	नीलामी की तिथि एवं स्थान
1	2	3	4	5	6
1	Aluminium Burnt Wire	1700 Kg.	19550	1	दिनांक 19.08.2020 नलकूप खण्ड (उत्तर), बुलन्दशहर के भण्डार परिसर में
2	G.M. Screp	450 Kg.	12870	2	
3	Iron Screp	7700 Kg.	16320	3	

शर्ते निम्न प्रकार होगीः–

1. उपरोक्त सामान की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जायेगी। नीलामी से पूर्व लाट की बोली हेतु धरोहर राशि बैक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी, जो कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड उत्तर, बुलन्दशहर के नाम बंधक होनी चाहिए।
2. प्रत्येक लॉट के लिए अलग–अलग धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी।
3. उपरोक्त सामान की नीलामी जैसी है, जहां है, के आधार पर की जायेगी।
4. उपरोक्त सामान को किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–तृतीय एवं सम्बन्धित सहायक भण्डार अधीक्षक से सम्पर्क कर स्टोर पर देखा जा सकता है।
5. नीलामी हेतु समस्त निर्णय का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिए पूर्ण कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा। अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी बोली का 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में (धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुए) तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा नीलामी से पूर्व जमा कराई अग्रिम प्रतिभूति की धनराशि विभागीय हित में जमा कर ली जायेगी।
6. बोली की धनराशि पर नियमानुसार व्यापार कर/बिक्री कर तथा अन्य कर जो भी नियमानुसार देय होगा व उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को देना होगा। नीलामी किये जाने वाली सामग्री की पूर्ण लाट जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम किया जायेगा।

7. नीलाम किये गये सामान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा सूचना दी जायेगी, और सूचना देने के 15 दिन के अन्दर नीलामी की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि सभी करों सहित जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत धनराशि विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी तथा सामान दूसरे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर नियमानुसार दिया जा सकता है।
8. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि कोई भी सामान विज्ञप्ति में सूचित सामान में से कम अथवा अधिक किया जा सकता है।
9. नीलामी के पश्चात, यदि नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है, तो बोली कर्ता के द्वारा जमा की गई धनराशि वापिस कर दी जायेगी और उस स्थिति में बोली कर्ता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति ब्याज इत्यादि का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. नीलामी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अर्बीटेशन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, मेरठ के द्वारा किया जायेगा, जो बोली कर्ता को मान्य होगा।
11. नीलामी बोलने से पूर्व बोलीदाता को अपना नाम/हस्ताक्षर समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी बोली अभिलिखित नहीं की जायेगी।
12. अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
13. फोटो परिचय पत्र/फोटो पहचान पत्र मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
14. समिति को नीलामी बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. बोलीदाता/फर्म को अपना फोटो परिचय पत्र, पैन नं0, जी0एस0टी0 नं0/जी0एस0टी0 आई0डी0टिन एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति नीलामी समिति को धरोहर राशि जमा कराते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. समस्त बोली दाताओं को धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात नीलामी के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा तथा किसी विवाद पर नीलामी समिति का निर्णय मान्य होगा।
17. व्यापार कर विभाग में पंजीकृत व्यक्ति/फर्म को ही नीलामी में भाग लेने का अधिकार होगा।
18. नीलामी समिति को निर्धारित मूल्य से कम बोली मान्य नही होगी।
19. नीलामी प्रक्रिया के समय यदि बोलीदाताओं द्वारा कोई अनुशासनहीनता की जाती है, तो संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। नीलामी परिसर में किसी भी प्रकार का शस्त्र–अस्त्र आदि लाना वर्जित होगा।
20. अन्य नियम व शर्ते (यदि होगी) तो नीलामी समिति द्वारा नीलामी से पूर्व घोषित कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता

नलकूप खण्ड (उत्तर) बुलन्दशहर